

पटना उच्च न्यायालय में
सिविल रिट अधिकारिता मामला संख्या 4465 वर्ष 2022

मो. एहसान अंसारी, पुत्र स्वर्गीय मो. सुल्तान अंसारी, निवासी रहिका, थाना-रहिका, जिला मधुबनी।

वर्तमान में सहायक अनुवादक, प्रखंड कार्यालय, पूसा, जिला समस्तीपुर, बिहार।

...याचिकाकर्ता

बनाम

1. बिहार राज्य, उर्दू राजभाषा निदेशक, सचिवालय, बिहार, पटना के माध्यम से।
2. निदेशक, उर्दू निदेशालय राजभाषा, सचिवालय, बिहार, पटना।
3. सचिव, राजभाषा विभाग, बिहार, पटना।
4. उप सचिव, राजभाषा विभाग, बिहार, पटना।
5. जिला मजिस्ट्रेट रोहतास, रोहतास जिला सचिवालय उर्दू राजभाषा जिला रोहतास, बिहार।
6. जिला मजिस्ट्रेट, समस्तीपुर।
7. प्रखण्ड पदाधिकारी, पूसा, समस्तीपुर, जिला- समस्तीपुर।
8. जिला मजिस्ट्रेट, मधुबनी।

प्रतिवादियों

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/याचिकाकर्ताओं के लिए :

श्री मोहम्मद सोबन असगर, अधिवक्ता।

प्रतिवादी/प्रतिवादियों के लिए :

श्री मोहम्मद रईसुल हक (एससी10)

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद का मौखिक आदेश

4 29-03-2023 याचिकाकर्ता और राज्य के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी गई।

2. वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता दिनांक 02.03.2022 के उस आदेश को चुनौती दे रहा है, जिसका पत्र संख्या उर्दू निदेशालय 61/96, 202 है और जो बिहार सरकार के निदेशक उर्दू निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, पटना द्वारा पारित किया गया है,

अनुभव

जैसा कि रिट याचिका के अनुलग्नक-1 में निहित है, जिसके तहत याचिकाकर्ता को समस्तीपुर जिले के पूसा प्रखंड कार्यालय से उर्दू भाषा कोषांग समाहरणालय, रोहतास में सहायक उर्दू अनुवादक के पद पर स्थानांतरित किया गया है।

3. अभिलेखों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने बिहार के माननीय राज्यपाल के आदेश द्वारा जारी रिट याचिका के अनुलग्नक '2' में निहित एक संकल्प पर भरोसा किया है। अनुलग्नक '2' के अनुसार, यह प्रस्ताव बिहार सरकार, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के प्रस्ताव के अनुसार राजभाषा विभाग के कर्मचारियों के तबादलों के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है। मंत्रिमंडल सचिवालय ने कार्यपालिका कार्य नियमावली के नियम 22 के उप-नियम (3) और (5) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पहले ही यह प्रस्ताव जारी कर दिया था। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने राजभाषा विभाग के प्रस्ताव (अनुलग्नक '2') के अनुच्छेद 7 पर भरोसा किया है, जो इस प्रकार है :

"7. वर्ग-3 के क्षेत्रीय कर्मचारियों का स्थानांतरण/पदस्थापन सामान्यतः उसी प्रमंडल में किया जाएगा, जिसमें जनका घर पड़ता है। मगर अपने घर के जिले में उनका पदस्थापन नहीं होगा।"

4. याचिकाकर्ता के तर्क का मुख्य आधार यह है कि उसे दरभंगा कमिश्नरी से बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है और राजभाषा विभाग के दिशानिर्देशों का अनुच्छेद '7' अभी भी कार्यान्वित है।

5. इस न्यायालय ने राज्य के विद्वान वकील (अधिवक्ता) से याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत दलीलों का उत्तर विशेष रूप से रिट याचिका के अनुलग्नक '2' के अस्तित्व के संबंध में देने का अनुरोध किया। राज्य प्रतिवादी संख्या 2 और 3 ने एक पूरक प्रति-हलफनामा दाखिल किया है, जिस पर निदेशक, उर्दू निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना द्वारा शपथ ली गई है। पूरक प्रति-हलफनामा के अनुच्छेद '7' और '8' में कहा गया है कि प्रारंभ में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग ने सरकारी कर्मचारियों की तैनाती एवं तबादलों की नीति के संबंध में दिनांक 25.10.1980 को एक प्रस्ताव जारी किया था। बाद में, राजभाषा विभाग, बिहार, पटना ने उक्त प्रस्ताव को अपनाते हुए ज्ञापन संख्या 317 दिनांक 28.04.1998 के माध्यम से प्रस्ताव जारी किया। यही प्रस्ताव रिट याचिका के अनुलग्नक '2' के रूप में है।

6. राज्य का यह कहना है कि राजभाषा विभाग का संकल्प मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प पर आधारित था। राजभाषा विभाग का मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग में विलय हो गया और इसका नाम बदलकर राजभाषा निदेशालय तथा उर्दू निदेशालय कर दिया गया। इसके बाद, बिहार स्थित पटना के मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने बिहार राज्य के विभिन्न विभागों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के लिए नई स्थानांतरण/पदस्थापन नीति तैयार की। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा दिनांक 01.03.2007 को जारी ज्ञापन संख्या 434 में दिनांक 28.4.1998 के संकल्प (अनुलग्नक 2) को स्पष्ट रूप से निरस्त नहीं किया गया है, लेकिन चूंकि राजभाषा विभाग का मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग में विलय हो गया और यह मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अधीन राजभाषा निदेशालय बन गया।

अतः मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग पर मूल विभाग अर्थात् कैबिनेट सचिवालय विभाग का संकल्प प्रभावी हो गया तथा सभी तबादले और नियुक्तियाँ दिनांक 01.03.2007 के संकल्प द्वारा शासित हो रही हैं और इसी कारण पूर्ववर्ती राजभाषा विभाग का संकल्प अप्रभावी और गैर-परिचालन योग्य हो गया।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने राज्य के पूर्ववर्ती प्रति-हलफनामे के जवाब में याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए कथनों की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है। विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि दिनांक 28.04.1998 का ज्ञापन संख्या 317 वाला संकल्प अभी भी प्रभावी है। इसमें कहा गया है कि तीन अलग-अलग मंत्रिमंडल सचिवालय हैं : (1) मंत्रिमंडल सचिवालय, उर्दू निदेशालय, राजभाषा, पटना, बिहार, (2) मंत्रिमंडल सचिवालय हिंदी निदेशालय, राजभाषा, पटना, बिहार और (3) बिहार सरकार मंत्रिमंडल, सचिवालय एवं समन्वय विभाग, बिहार, पटना। उनका निवेदन है कि 01.03.2007 तक उर्दू राजभाषा किसी भी मंत्रिमंडल सचिवालय के अधीन नहीं था, इसलिए 2007 के संकल्प में निहित निदेश उर्दू राजभाषा के कर्मचारियों पर लागू नहीं किए जा सकते।

8. विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी कहा है कि नीति के अनुसार स्थानांतरण जून महीने में होना चाहिए था, जिसका पालन नहीं किया गया है और यह भी कहा गया है कि केवल याचिकाकर्ता का ही स्थानांतरण किया गया है, जबकि अन्य लोगों को छोड़ दिया गया है जो समस्तीपुर जिले में एक ही स्थान पर 12 से 15 वर्ष से अधिक समय तक तैनात रहे।

अनुभव

प्रतिफल

9. याचिकाकर्ता और राज्य के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता के तर्क का मुख्य आधार रिट याचिका का अनुलग्नक '2' है, जो राजभाषा विभाग का संकल्प है। अनुलग्नक '2' के आरंभिक अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ने से स्पष्ट होता है कि इस संकल्प में स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया गया है कि यह मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा जारी संकल्प के अनुरूप जारी किया जा रहा है। अतः न्यायालय यह समझता है कि अनुलग्नक '2' मंत्रिमंडल सचिवालय के संकल्प का मूल है। अपने प्रति-हलफनामे में प्रतिवादियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि स्थानांतरण/पदस्थापन के संबंध में राज्य सरकार की नीति और प्रक्रिया के आलोक में, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा विभागीय संकल्प (संकल्प) के माध्यम से दिनांक 01.03.2007 के पत्र संख्या 434 में एक अद्यतन दिशानिर्देश जारी किया गया था। इसकी एक प्रति प्रति-हलफनामे के अनुलग्नक 'ग' के रूप में अभिलेख में प्रस्तुत की गई है। न्यायालय ने इसका अवलोकन किया है।

10. दिनांक 01.03.2007 के संकल्प में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के पूर्ववर्ती संकल्प संख्या 3918 दिनांक 25.10.1980 का संदर्भ दिया गया है और दिनांक 18.11.2006 के संकल्प संख्या 2079 के माध्यम से इसमें बाद में संशोधन किए गए। दिनांक 01.03.2007 के संकल्प को पढ़ने से स्पष्ट होता है कि यह सभी सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है और संकल्प में संपूर्ण प्रक्रिया और अधिकारिता निर्धारित की गई है। यह संकल्प बिहार असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया गया है और इसकी एक प्रति सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/सभी आयुक्तों/सभी जिला मजिस्ट्रेटों को भेजी गई है। संदर्भ के लिए, दिनांक 01.03.2007 के संकल्प संख्या 434 को नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:-

“बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय, विभाग

पत्रांक- मं०मं०-1/आर०-28/2006 434 दिनांक 01/03/07

संकल्प

सरकारी सेवकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन के संबंध में नीति एवं प्रक्रिया का निर्धारण मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के संकल्प सं०-3918 दिनांक 25.10.1980 द्वारा किया गया था। उसके पश्चात् संदर्भित संकल्प के खंड (क) (1) में भी आंशिक संशोधन

01/3/07

विभागीय संकल्प सं०- 2079, दिनांक 18.11.2006 द्वारा किया गया था। अतः सरकार द्वारा इस मामले में पुनर्विचार किया गया एवं वर्तमान नीति एवं प्रक्रिया को चुस्त एवं दुरुस्त बनाने के लिए उपर्युक्त पूर्वदेश को अवक्रमित करते हुए निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :-

1) क) सामान्य स्थानान्तरण/पदस्थापन साल में एक बार जून माह में किया जायेगा; प्रोन्नति, कार्यहित एवं प्रशासनिक कारणों से कभी भी किया जा सकता है, लेकिन ऐसे कारणों से सक्षम पदाधिकारी स्तर से एक स्तर ऊपर का अनुमोदन आवश्यक होगा।

ख) स्थानान्तरण/पदस्थापन के लिए स्थापना समिति नहीं रहेगी, बल्कि प्रभारी पदाधिकारी ऐसे सरकारी सेवक, जो अपने वर्तमान पद पर 3 साल पूरे कर चुके हैं, उनके स्थानान्तरण/पदस्थापन हेतु प्रत्येक वर्ष मई माह में संचिका उपस्थापित करेंगे। सामान्यतया निम्नलिखित मार्गदर्शन निर्धारित किये जाते हैं:-

i) पदाधिकारी/कर्मचारी 3 वर्ष की अवधि पूरी कर चुके हैं। किसी विशेष पद या स्थान के लिए यह अवधि 2 वर्ष भी हो सकती है जिसे विभाग द्वारा स्थाई आदेश के जरिये निर्धारित किया जायेगा।

ii) जहाँ तक संभव हो, सेवानिवृत्ति के अंतिम वर्ष में पदाधिकारी/कर्मचारी के अपने मनोकूल स्थान पर स्थानान्तरण/पदस्थापन के संबंध में सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा। यदि कोई पदाधिकारी/कर्मचारी, जिनके पदस्थापन की अवधि समाप्त होने वाली है, अपने स्थानान्तरण/पदस्थापन के संबंध में कोई अभ्यावेदन देना चाहे, तो वे प्रत्येक साल के अप्रैल तक अभ्यावेदन सक्षम पदाधिकारी के पास विचार हेतु भेज सकता है। अगर पदाधिकारी/कर्मचारी के अभ्यावेदन पर स्थानान्तरण/पदस्थापन होता है, तो उन्हें स्थानान्तरण यात्रा भता तथा पारगमन अवधि अनुमान्य नहीं होगी।

ग) यदि कोई पदाधिकारी अपने स्थानान्तरण/पदस्थापन के संबंध में बाह्य व्यक्ति से सिफारिश कराते हैं या प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं तो उन्हें अपने आचरण के संबंध में स्पष्टीकरण देने का मौका देकर, यह बात उनकी चरित्र-पुस्ति में दर्ज कर दी जाएगी।

घ) सरकारी सेवकों द्वारा सीधे विभागीय मंत्री को स्थानान्तरण/पदस्थापन के संबंध में प्रार्थना-पत्र संबोधित किये जाने की पद्धति अनियमित है एवं इसे अमान्य कर दिया जाय। परन्तु यदि पदाधिकारी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र पर संबंधित विभाग/पदाधिकारी द्वारा

अमर

कार्रवाई नहीं की जा रही हो अथवा विलम्ब किया जा रहा हो तो ऐसे विलम्ब के विरुद्ध विभागीय मंत्री को अभ्यावेदन (मेमोरियल) दिया जा सकता है।

च) नियंत्रण पदाधिकारी अपने अधीनस्थ पदाधिकारी स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश प्राप्त होने पर अविलम्ब विरमित कर देंगे।

छ) किसी पदाधिकारी/कर्मचारी की गृह जिला में पदस्थापन (जिला संवर्ग को छोड़कर) नहीं किया जायेगा।

ज) किसी पदाधिकारी/कर्मचारी की पत्नी द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

झ) यथासंभव पति-पत्नी को एक स्थान पर पदस्थापित किया जायेगा, अगर पति-पत्नी एक विभाग के नियंत्रणाधीन हो। लेकिन जहाँ पति अथवा पत्नी में एक पद ऐसा हो, जिसका स्थानान्तरण संभव नहीं है, यथा चिकित्सा महाविद्यालयों में पदस्थापित शिक्षण कार्य में संलग्न चिकित्सक आदि तो वैसी स्थिति में यह निगम लागू नहीं होगा।

2) यह देखा जाता है कि प्रायः पदाधिकारी/कर्मचारी अपने गृह जिला के पड़ोसी जिला में पदस्थापन चाहते हैं। यथासंभव ऐसा नहीं किया जाना चाहिए।

3) सचिव अपने मंतव्य के साथ स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रस्ताव मंत्री को उपस्थापित करेंगे। मंत्री का आदेश अंतिम होगा।

4) किसी भी हालत में किसी विभाग में संवर्ग बल के कुल कार्यरत पदाधिकारी/कर्मचारी के 10 प्रतिशत से ज्यादा स्थानान्तरण/पदस्थापन एक वर्ष में नहीं होगा। अगर प्रोन्नति अथवा कार्यहित में ऐसी आवश्यकता हुई तो सक्षम स्तर से एक स्तर ऊपर का आदेश प्राप्त कर स्थानान्तरण/पदस्थापन एक वर्ष में नहीं होगा। अगर प्रोन्नति अथवा कार्यहित में ऐसी आवश्यकता हुई तो सक्षम स्तर से एक स्तर का आदेश प्राप्त कर स्थानान्तरण/पदस्थापन किया जा सकता है।

5) उपर्युक्त के अतिरिक्त अधोलिखित रूप से स्थानान्तरण/पदस्थापन सक्षम प्राधिकार के स्तर से निपटाये जायेगा:-

विषय	सक्षम प्राधिकार
1. राजपत्रित सेवाओं के बेसिक ग्रेड के कार्यरत पदाधिकारियों का स्थानान्तरण एवं पदस्थापन।	मंत्री

2. राजपत्रित सेवाओं के बेसिक ग्रेड के ऊपर के दो ग्रेड्स एवं समकक्ष ग्रेड्स में कार्यरत पदाधिकारियों का स्थानान्तरण एवं पदस्थापन।	मंत्री
3. राजपत्रित सेवाओं के उपर्युक्त (1) एवं (2) में उल्लिखित पदाधिकारियों से भिन्न एवं राज्य सेवाओं के वरीयतम ग्रेड्स में कार्यरत पदाधिकारियों का स्थानान्तरण एवं पदस्थापन।	मुख्य सचिव के मार्फत से मुख्यमंत्री
4. विभागाध्यक्षों की नियुक्ति/प्रोन्नति एवं स्थानान्तरण/पदस्थापन तथा अखिल भारतीय सेवाओं के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण, पदस्थापन एवं प्रोन्नति के सभी प्रस्ताव तथा विभागीय सचिवों, विशेष सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव एवं अपर सचिव के पदस्थापन संबंधी सभी प्रस्ताव।	मुख्य सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री
5. बेसिक ग्रेड से निम्नतर ग्रेड्स में कार्यरत पर्यवेक्षकीय स्तर के कर्मियों का पदस्थान एवं स्थानान्तरण।	विभागाध्यक्ष

6) यह आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में तुरंत प्रकाशित किया जाय और इनकी प्रति सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/सभी प्रगंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रसारित की जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(गिरीश शंकर)

सरकार के सचिव

11. अभिलेखों में उपलब्ध दलीलों और दिनांक 01.03.2007 के संकल्प की सामग्री के आधार पर, इस न्यायालय का यह मत है कि दिनांक 01.03.2007 का संकल्प संख्या 434, दिनांक 25.10.1980 के संकल्प संख्या 3918 में निहित स्थानांतरण नीति की समीक्षा करके प्रकाशित किया गया है, जिसे दिनांक 18.11.2006 के संकल्प संख्या 2079 द्वारा संशोधित किया गया था। यह विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया है कि मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग का यही संकल्प प्रचलन में है और सरकारी कर्मचारियों पर यही लागू होगा। यहाँ तक कि अनुलग्नक '2' जिस पर भरोसा करता है, वह भी मंत्रिमंडल सचिवालय के पूर्ववर्ती संकल्प का ही एक प्रतिरूप है।

3/3/07

12. अतः इस न्यायालय को इस बात में जरा भी संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता को यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि अनुलग्नक 2 अभी भी अस्तित्व में है। इस न्यायालय के लिए यह बिल्कुल स्पष्ट है कि दिनांक 01.03.2007 के संकल्प संख्या 434 में निहित सरकारी निर्णय की अनदेखी करके अनुलग्नक '2' को प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। यह तर्क, इसलिए, विफल हो जाता है।

13. अन्य दलीलों के संबंध में, जैसे कि स्थानांतरण जून के अलावा किसी अन्य महीने में किया गया है और समस्तीपुर में 12-15 वर्षों से अधिक समय से तैनात कुछ अन्य व्यक्ति हैं, इन दलीलों से न्यायालय के निर्णय पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वे आधार नहीं हैं जिस पर याचिकाकर्ता के स्थानांतरण आदेश में हस्तक्षेप किया जा सके।

14. यह रिट याचिका खारिज की जाती है।

15. यदि कोई अंतरिम आदेश है, तो वह निरस्त माना जाएगा।

(राजीव रंजन प्रसाद, न्यायमूर्ति)

लता/सुषमा-

एएफआर

यु

--	--	--	--

31/3/2019